मध्यप्रदेश विधान सभा

संक्षिप्त कार्य विवरण (पत्रक भाग-एक)

मंगलवार, दिनांक 19 मार्च, 2013 (फाल्गुन 28, 1934)

विधान सभा पूर्वाह्न 10.32 बजे समवेत हुई.

1. प्रश्नोत्तर

अध्यक्ष महोदय द्वारा प्रथम प्रश्नकर्ता सदस्य का नाम पुकारा गया किन्तु सदन में अत्यधिक व्यवधान के कारण आज प्रश्नोत्तर नहीं हो सके। प्रश्नोत्तर सूची में नियम 46 (2) के अंतर्गत अतारांकित प्रश्नोत्तर के रूप में परिवर्तित 168 तारांकित प्रश्नों के उत्तर तथा 169 अतारांकित प्रश्नों के उत्तर भी शामिल थे।

2. कांग्रेस पक्ष द्वारा दतिया में एक विदेशी महिला पर्यटक के साथ हुई घटना के विरोधस्वरूप गर्भगृह में प्रदर्शन किया जाना

दतिया में एक विदेशी महिला पर्यटक के साथ हुई घटना के विरोधस्वरूप कांग्रेस पक्ष के सदस्यगण द्वारा गर्भगृह में प्रवेश कर नारेबाजी की गई। अध्यक्ष महोदय द्वारा प्रतिपक्ष (कांग्रेस पक्ष) के माननीय सदस्यों से प्रश्नकाल चलने देने हेतु सहयोग देने का अनुरोध किया गया किन्तु श्री अजय सिंह, नेता प्रतिपक्ष के नेतृत्व में कांग्रेस पक्ष के सदस्यगण की ओर से गृह मंत्री के इस्तीफे की मांग की गई। सदन में अत्यधिक व्यवधान एवं शोरगुल के कारण प्रश्नकाल की कार्यवाही बाधित होने से, अध्यक्ष महोदय द्वारा सदन की कार्यवाही आधे घन्टे के लिए स्थगित की गई।

(10.35 बजे कार्यवाही स्थगित की जाकर 11.07 बजे पुन: समवेत हुई।)

श्री कैलाश विजयवर्गीय, वाणिज्य, उद्योग एवं रोजगार मंत्री तथा डॉ. नरोत्तम मिश्रा, संसदीय कार्य मंत्री द्वारा शासन की ओर से इस प्रकरण में चर्चा के लिए सहमति व्यक्त की गई किन्तु गर्भगृह से पुन : नारेबाजी एवं व्यवधान होने के कारण अध्यक्ष महोदय द्वारा कार्यवाही 11.30 बजे तक के लिए स्थगित की गई।

(11.10 कार्यवाही स्थगित की जाकर 11.32 बजे पुन: समवेत हुई।)

अध्यक्ष महोदय द्वारा कांग्रेस पक्ष के सदस्यों को अपने आसनों पर वापस जाने के निर्देश दिए गए, किन्तु गर्भगृह से नारेबाजी की जाती रही। तत्पश्चात्, व्यवधान एवं शोरगुल के वातावरण में, कार्यसूची में उल्लेखित विषयों पर सदन की कार्यवाही जारी रही।

3. नियम 267-क के अधीन विषय

अध्यक्ष महोदय द्वारा की गई घोषणानुसार -
(1) श्री पारस सकलेचा, सदस्य की रतलाम जिला चिकित्सालय में अव्यवस्थाओं के होने,
(2) श्री प्रेमनारायण ठाकुर, सदस्य की छिंदवाड़ा जिले के ग्राम सिंगोड़ी में महाविद्यालय खोले जाने,
(3) श्री गिरिराज किशोर पोद्दार, सदस्य की कटनी नगर निगम द्वारा अवैध कालोनियों के भवन-स्वामियों से कर की वसूली होने,
(4) श्री ध्रुवनारायण सिंह, सदस्य की भोपाल शहर में तम्बाकू युक्त गुटखा सभी जगह खुले-आम बिकने,
(5) श्री रामनिवास रावत, सदस्य की श्योपुर जिले के कराहल में पेयजल योजनाएं चालू न होने,
(6) श्री रामलखन सिंह, सदस्य की शिवपुरी जिले के ग्राम कुरारखेड़ा निवासी एक व्यक्ति पर हमला होने,
(7) श्री भगवान सिंह राजपूत, सदस्य की जबलपुर जिले में केन्द्र सरकार द्वारा संचालित योजनाओं का किसानों को लाभ न मिलने,
(8) श्री पुरूषोत्तम दांगी, सदस्य की बरकतउल्ला विश्वविद्यालय भोपाल द्वारा बी.एड. के परीक्षा परिणाम घोषित न किये जाने,
(9) श्री सुदर्शन गुप्ता, सदस्य की इन्दौर नगर निगम में पब्लिक एनॉलिसिस अधिकारी का पद रिक्त होने तथा
(10) श्री ब्रजमोहन धूत, सदस्य की इन्दौर-बैतूल मार्ग पर स्थित पुलियाओं की हालत जर्जर होने,
संबंधी नियम 267-क के अधीन शून्यकाल की सूचनाएं पढ़ी मानी गईं।

4. पत्रों का पटल पर रखा जाना

(1) श्री लक्ष्मीकांत शर्मा, उच्च शिक्षा मंत्री ने बरकतउल्ला विश्वविद्यालय, भोपाल का 40 वां वार्षिक प्रतिवेदन, वर्ष 2011-12 पटल पर रखा।

(2) श्री पारसचंद जैन, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री ने मध्यप्रदेश वेयर हाउसिंग एण्ड लॉजिस्टिक्स कार्पोरेशन का नवम् वार्षिक प्रतिवेदन एवं हिसाब पत्रक, वर्ष 2011-12 पटल पर रखा।

5. ध्यान आकर्षण

अध्यक्ष महोदय द्वारा सदन की सहमति से नियम (138) (3) को शिथिल करके, आज की कार्यसूची में उल्लेखित 6 ध्यानाकर्षण सूचनाएं लिये जाने की घोषणा की गई। किन्तु, सदन में व्यवधान के कारण, निम्नलिखित माननीय सदस्यों की ध्यानाकर्षण सूचनाएं तथा उन पर संबंधित मंत्रीगण के वक्तव्य पढ़े हुए माने जाने की घोषणा की गई :-

(1) श्री बृजेन्द्र सिंह राठौर, सदस्य की टीकमगढ़ जिले के विरौरा से चौमोअस्तारी मार्ग निर्माण न होने संबंधी सूचना तथा श्री नागेन्द्र सिंह, लोक निर्माण मंत्री का वक्तव्य।

(2) सर्वश्री पारस सकलेचा, यशपाल सिंह सिसोदिया एवं चौधरी राकेश सिंह चतुर्वेदी, सदस्यगण की रतलाम स्थित सज्जन मिल के श्रमिकों के स्वत्वों का भुगतान न होने संबंधी सूचना तथा श्री कैलाश विजयवर्गीय, वाणिज्य,उद्योग एवं रोजगार मंत्री का वक्तव्य।

(3) श्री जसवन्त सिंह हाड़ा, सदस्य की शुजालपुर से सारंगपुर सड़क मार्ग का कार्य अपूर्ण होने संबंधी सूचना तथा श्री नागेन्द्र सिंह, लोक निर्माण मंत्री का वक्तव्य।

(4) श्री रमेश भटेरे, सदस्य की बालाघाट जिले के लांजी क्षेत्र के सार्वजनिक स्थलों से शराब की दुकाने न हटाये जाने संबंधी सूचना तथा श्री राघवजी, वाणिज्यिक कर मंत्री का वक्तव्य।

(5) श्री ध्रुवनारायण सिंह, सदस्य की भोपाल स्थित महाविद्यालयों के खेल मैदान में अवैध निर्माण किये जाने संबंधी सूचना तथा श्री लक्ष्मीकांत शर्मा, उच्च शिक्षा मंत्री का वक्तव्य।

(6) श्री चंपालाल देवड़ा, सदस्य की देवास जिले के महीगांव बांध की नहर क्षतिग्रस्त होने संबंधी सूचना तथा श्री जयंत मलैया, जल संसाधन मंत्री का वक्तव्य।

6. प्रतिवेदनों की प्रस्तुति

(1) श्री गिरीश गौतम, सभापति ने सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति का एक सौ इकतीसवां से एक सौ उनचासवां प्रतिवेदन प्रस्तुत किया।

(2) श्री देवेन्द्र वर्मा, सभापति ने शासकीय आश्वासनों संबंधी समिति का प्रथम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया।

(3) श्री रामगरीब कोल, सदस्य ने पटल पर रखे गये पत्रों का परीक्षण करने संबंधी समिति का अठारहवां एवं उन्नीसवां प्रतिवेदन प्रस्तुत किया।

(4) श्री अंतर सिंह आर्य, सभापति ने प्रश्न एवं संदर्भ समिति का अष्टम् , नवम् , दशम्, एकादश एवं द्वादश प्रतिवेदन प्रस्तुत किया।

7. याचिकाओं की प्रस्तुति

अध्यक्ष महोदय द्वारा की गई घोषणानुसार, दैनिक कार्यसूची में उल्लिखित सदस्यों की याचिकाएं प्रस्तुत हुई मानी गईः-

(1) श्री अलकेश आर्य (जिला-बैतूल)
(2) श्री हितेन्द्र सिंह सोलंकी (जिला-पश्चिम निमाड़, खरगौन)
(3) श्री बृजेन्द्र सिंह राठौर (जिला-टीकमगढ़)
(4) श्रीमती साधना स्थापक (जिला-नरसिंहपुर)
(5) श्री कुंवर सिंह टेकाम (जिला-सिंगरौली)
(6) श्री मोतीलाल तिवारी (जिला-सतना)

8. सम्पत्ति विवरण का पटल पर रखा जाना

निम्नलिखित मंत्रीगण द्वारा अपने एवं परिवार के चल एवं अचल सम्पत्ति विवरण पटल पर रखे गए :-

(1) श्री बाबूलाल गौर, नगरीय प्रशासन एवं विकास मंत्री
(2) श्री कैलाश विजयवर्गीय, वाणिज्य, उद्योग एवं रोजगार मंत्री
(3) डॉ. नरोत्तम मिश्रा, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री
(4) श्री लक्ष्मीकांत शर्मा, तकनीकी शिक्षा एवं प्रशिक्षण मंत्री
(5) श्री गौरीशंकर बिसेन, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मंत्री
(6) श्री राजेन्द्र शुक्ल, ऊर्जा मंत्री
(7) श्री कन्हैयालाल अग्रवाल, राज्यमंत्री, सामान्य प्रशासन
(8) श्री नानाभाऊ मोहोड़, राज्यमंत्री, स्कूल शिक्षा

9. मध्यप्रदेश विधान सभा की वर्ष 2012-13 की अवधि के लिये गठित समस्त सभा समितियों के कार्यकाल में वर्तमान त्रयोदश विधान सभा के कार्यकाल पर्यन्त वृद्धि की जाना

डॉ. नरोत्तम मिश्रा, संसदीय कार्य मंत्री ने प्रस्ताव किया कि -

" मध्यप्रदेश विधान सभा की वर्ष 2012-13 की अवधि के लिये गठित समस्त सभा समितियों के कार्यकाल में वर्तमान त्रयोदश विधान सभा के कार्यकाल पर्यन्त वृद्धि की जाय. "

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

10. शासकीय विधि विषयक कार्य

(1) श्री बाबूलाल गौर, नगरीय प्रशासन एवं विकास मंत्री ने मध्यप्रदेश नगरीय क्षेत्रों के भूमिहीन व्यक्ति (पट्टाधृति अधिकारों का प्रदान किया जाना) संशोधन विधेयक, 2013 (क्रमांक 9 सन् 2013) सदन की अनुमति से पुरःस्थापित किया।

(2) श्री जयंत मलैया, जल संसाधन मंत्री ने मध्यप्रदेश सिंचाई प्रबंधन में कृषकों की भागीदारी (संशोधन) विधेयक, 2013 (क्रमांक 10 सन् 2013) सदन की अनुमति से पुरःस्थापित किया।

(3) श्री राघवजी, वाणिज्यिक कर मंत्री ने मध्यप्रदेश वृत्ति कर (संशोधन) विधेयक, 2013 (क्रमांक 11 सन् 2013) सदन की अनुमति से पुरःस्थापित किया।

(4) डॉ. नरोत्तम मिश्रा, विधि और विधायी कार्य मंत्री ने प्रस्ताव किया कि मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय (खण्ड न्यायपीठ को अपील) संशोधन विधेयक, 2013 (क्रमांक 1 सन् 2013) पर विचार किया जाय।

विचार का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

(विधेयक पर खण्डशः विचारोपरान्त)

डॉ. नरोत्तम मिश्रा ने प्रस्ताव किया कि मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय (खण्ड न्यायपीठ को अपील) संशोधन विधेयक, 2013 (क्रमांक 1 सन् 2013) पारित किया जाए।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।
विधेयक पारित हुआ।

(5) श्री लक्ष्मीकांत शर्मा, उच्च शिक्षा मंत्री ने प्रस्ताव किया कि मध्यप्रदेश निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) संशोधन विधेयक, 2013 (क्रमांक 2 सन् 2013) पर विचार किया जाय।

विचार का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

(विधेयक पर खण्डशः विचारोपरान्त)

श्री लक्ष्मीकांत शर्मा ने प्रस्ताव किया कि मध्यप्रदेश निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) संशोधन विधेयक, 2013 (क्रमांक 2 सन् 2013) पारित किया जाए।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।
विधेयक पारित हुआ।

(6) श्री गोपाल भार्गव, पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री ने प्रस्ताव किया कि मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज (संशोधन) विधेयक, 2013 (क्रमांक 3 सन् 2013) पर विचार किया जाय।

विचार का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

(विधेयक पर खण्डशः विचारोपरान्त)

श्री गोपाल भार्गव ने प्रस्ताव किया कि मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज (संशोधन) विधेयक, 2013 (क्रमांक 3 सन् 2013) पारित किया जाए।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।
विधेयक पारित हुआ।

(7) श्री कैलाश विजयवर्गीय, वाणिज्य, उद्योग एवं रोजगार मंत्री ने प्रस्ताव किया कि मध्यप्रदेश निवेश क्षेत्र विकास और प्रबन्ध विधेयक, 2013 (क्रमांक 6 सन् 2013) पर विचार किया जाय।

विचार का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

(विधेयक पर खण्डशः विचारोपरान्त)

श्री कैलाश विजयवर्गीय ने प्रस्ताव किया कि मध्यप्रदेश निवेश क्षेत्र विकास और प्रबन्ध विधेयक, 2013 (क्रमांक 6 सन् 2013) पारित किया जाए।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।
विधेयक पारित हुआ।

(8) श्री राघवजी, वाणिज्यिक कर मंत्री ने प्रस्ताव किया कि मध्यप्रदेश वेट (संशोधन) विधेयक, 2013 (क्रमांक 7 सन् 2013) पर विचार किया जाय।

विचार का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

(विधेयक पर खण्डशः विचारोपरान्त)

श्री राघवजी ने प्रस्ताव किया कि मध्यप्रदेश वेट (संशोधन) विधेयक, 2013 (क्रमांक 7 सन् 2013) पारित किया जाए।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।
विधेयक पारित हुआ।

(9) श्री राघवजी, वाणिज्यिक कर मंत्री ने प्रस्ताव किया कि मध्यप्रदेश स्थानीय क्षेत्र में माल के प्रवेश पर कर (संशोधन) विधेयक, 2013 (क्रमांक 8 सन् 2013) पर विचार किया जाय।

विचार का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

(विधेयक पर खण्डशः विचारोपरान्त)

श्री राघवजी ने प्रस्ताव किया कि मध्यप्रदेश स्थानीय क्षेत्र में माल के प्रवेश पर कर (संशोधन) विधेयक, 2013 (क्रमांक 8 सन् 2013) पारित किया जाए।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।
विधेयक पारित हुआ।

11. अध्यक्षीय व्यवस्था

नियम शिथिल कर पुर:स्थापन के दिन ही विधेयकों के विचारण विषयक

अध्यक्ष महोदय द्वारा सदन की सहमति से यह घोषणा की गई कि आज सदन में पुर:स्थापित हुए, मध्यप्रदेश नगरीय क्षेत्रों के भूमिहीन व्यक्ति (पट्टाधृति अधिकारों का प्रदान किया जाना) संशोधन विधेयक, 2013 (क्रमांक 9 सन् 2013), मध्यप्रदेश सिंचाई प्रबन्धन में कृषकों की भागीदारी (संशोधन) विधेयक, 2013 (क्रमांक 10 सन् 2013) एवं मध्यप्रदेश वृत्ति कर (संशोधन) विधेयक, 2013 (क्रमांक 11 सन् 2013) की महत्ता एवं उपादेयता को दृष्टिगत रखते हुए स्थायी आदेश की कंडिका 24 में विनिर्दिष्ट अपेक्षाओं को शिथिल कर आज ही सदन में विचारार्थ लिये जाने का निर्णय लिया गया है।

12. शासकीय विधि विषयक कार्य (क्रमशः)

(10) श्री बाबूलाल गौर, नगरीय प्रशासन एवं विकास मंत्री ने प्रस्ताव किया कि मध्यप्रदेश नगरीय क्षेत्रों के भूमिहीन व्यक्ति (पट्टाधृति अधिकारों का प्रदान किया जाना) संशोधन विधेयक, 2013 (क्रमांक 9 सन् 2013) पर विचार किया जाय।

विचार का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

(विधेयक पर खण्डशः विचारोपरान्त)

श्री बाबूलाल गौर ने प्रस्ताव किया कि मध्यप्रदेश नगरीय क्षेत्रों के भूमिहीन व्यक्ति (पट्टाधृति अधिकारों का प्रदान किया जाना) संशोधन विधेयक, 2013 (क्रमांक 9 सन् 2013) पारित किया जाए।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।
विधेयक पारित हुआ।

(11) श्री जयंत मलैया, जल संसाधन मंत्री ने प्रस्ताव किया कि मध्यप्रदेश सिंचाई प्रबंधन में कृषकों की भागीदारी (संशोधन) विधेयक, 2013 (क्रमांक 10 सन् 2013) पर विचार किया जाय।

विचार का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

(विधेयक पर खण्डशः विचारोपरान्त)

श्री जयंत मलैया ने प्रस्ताव किया कि मध्यप्रदेश सिंचाई प्रबंधन में कृषकों की भागीदारी (संशोधन) विधेयक, 2013 (क्रमांक 10 सन् 2013) पारित किया जाए।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।
विधेयक पारित हुआ।

(12) श्री राघवजी, वाणिज्यिक कर मंत्री ने प्रस्ताव किया कि मध्यप्रदेश वृत्ति कर (संशोधन) विधेयक, 2013 (क्रमांक 11 सन् 2013) पर विचार किया जाय।

विचार का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

(विधेयक पर खण्डश: विचारोपरान्त)

श्री राघवजी ने प्रस्ताव किया कि मध्यप्रदेश वृत्ति कर (संशोधन) विधेयक, 2013 (क्रमांक 11 सन् 2013) पारित किया जाए।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।
विधेयक पारित हुआ।

(कांग्रेस पक्ष के सदस्यगण द्वारा गर्भगृह से नारेबाजी के कारण सदन में अत्यधिक व्यवधान एवं शोरगुल जारी रहा)

13. विधानसभा की कार्यवाही निर्धारित समयावधि के पूर्व, अनिश्चितकाल के लिए स्थगित करने विषयक प्रस्ताव

डॉ. नरोत्तम मिश्रा, संसदीय कार्य मंत्री ने सदन को सूचित किया कि चूंकि वर्तमान सत्र हेतु नियत महत्वपूर्ण शासकीय कार्य पूरा हो गया है और प्रतिपक्ष (कांग्रेस) के सदस्य सदन चलाना नही चाहते हैं, सहयोग नही कर रहे हैं और सदन की कार्यवाही को बाधित कर रहे हैं। अत: उन्होंने यह प्रस्ताव किया कि -“विधान सभा की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित की जाए.”

प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ।

(अध्यक्ष महोदय द्वारा इस प्रस्ताव पर सदन का मत लिया गया।)

प्रस्ताव ध्वनिमत से स्वीकृत हुआ।

14. राष्ट्रगान “जन गण मन” का समूहगान

सदन में माननीय सदस्यगण द्वारा खड़े होकर राष्ट्रगान "जन-गण-मन" का समूह गान किया गया।

15. विधानसभा की कार्यवाही का अनिश्चितकाल के लिए स्थगन

अध्यक्ष महोदय द्वारा पूर्वाह्न 11.59 बजे विधान सभा की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित की गई।

राजकुमार पांडे
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा

भोपाल :
दिनांक : 19 मार्च, 2013